<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज बरेली।</u>

उपस्थित: अरूण गौतम (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

JO Code-3520

फौजदारी वाद संख्याः–710/2012

CNR No.UPBR30000090-2012

उ0प्र0 राज्य.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. बग्गा सिंह पुत्र धर्म सिंह
2. चरन सिंह पुत्र धर्म सिंह
3. रणजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह

निवासीगण– ग्राम लावाखेड़ा, थाना नवाबगंज, जिला बरेली।

.....अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–391/2012
अंतर्गत धारा–323,324,325,504,506 भा0दं0सं0,
थाना–नवाबगंज, जिला–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. थाना–नवाबगंज, जिला बरेली की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण बग्गा सिंह, चरन सिंह व रणजीत सिंह के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–391/2012, अतर्गत धारा–323,324,325,504,506 भा0दं0सं0, में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी नन्हें लाल द्वारा थाने पर इस आशय की जुबानी सूचना दी गयी कि उसने विपक्षीगण का खेत बटाई पर लेकर उसमें मिर्चा की फसल की है, मिर्चा तोड़कर बाजार में बेच दी तथा सारा पैसा बग्गा सिंह आदि ने आढ़त से लेकर अपने पास रख लिया था एवं आज वह उसकी पत्नी श्रीमती नत्थो देवी व उसका लड़का समय करीब 8.00 बजे रात खेत में मिर्चा तोड़ रहे थे तो विपक्षीगण आये तो उसने मिर्चा के पैसों का हिसाब कर अपने हिस्से के पैसे मांगे इस पर मुल्जिमान गंदी गंदी गालियां देते हुए अपने हाथों में लिए लाठी डंडों आदि से उन्हें मारने पीटने लगे और कहने लगे कि कोई पैसा नहीं देंगे।
3. वादी मुकदमा की उक्त जुबानी सूचना पर मु0अ0सं0–391/2012, धारा 325,323,504,506 भा0दं0सं0, पंजीकृत कर बाद तमामी विवेचना व मेडिकल साक्ष्य पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा विधिवत् अपनी जमानत करायी गयी।
4. अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आया। अभियुक्तगण को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गई। तदुपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–323,324,325,504,506 भा0दं0सं0, के अपराध के तहत आरोप विरचित किये गये, जो उन्हें पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गई।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से लिखित साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा नन्हें लाल व पी0डब्लू0 2 नत्थो देवी को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। तदोपरान्त अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक सत्यता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–294 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया, जिसपर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये। अतः औपचारिक साक्षीगण को साक्ष्य में आहूत किये जाने की आवश्यकता नहीं रही, फलस्वरूप साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया।
6. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों का गलत होना कहा, गवाहान द्वारा दिये गये बयान को सही बताया एवं सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन किया।
7. न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।
8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा घ ाटना की तिथि व समय पर वादी व उसकी पत्नी व पुत्र को धारदार हथियार से मारपीटकर गंभीर उपहति कारित की तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
9. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु बतौर वादी साक्षी पी0डब्लू0–1 नन्हे लाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना आज से करीब 12–13 साल पहले की है, रात के 8.00 बजे गांव के बग्गा सिंह की जमीन उसने बटायी पर ली थी, उसमें मिर्ची की फसल बोई थी, मिर्जी तोड़कर बाजार में बेंच दी तथा वह व उसकी पत्नी नत्थो देवी व उसका लड़का धर्मेन्द्र खेत में मिर्जी तोड़ रहे थे तभी बग्गा सिंह, चरन सिंह और हरिजेन्द्र सिंह आ गये उसने अपने हिस्से के पैसे मांगे तो इन लोगों ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की, इस घटना की एनसीआर उसके द्वारा लिखवायी गयी थी। साक्षी ने पत्रावली में शामिल तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है।
10. बचावपक्ष की ओर से की गयी जिरह में उसने कथन किया कि घटना बहुत पुरानी है अब उसे ध्यान नहीं है कि किसने उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की थी। हाजिर अदालत मुल्जिमानों ने उसके साथ मारपीट गाली गलौच नहीं की थी तथा उसे गिरने के कारण चोटें आयीं थी।
11. अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु साक्षी पी0डब्लू0–2 नत्थो देवी को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि इस घटना की रिपोर्ट बहुत साल पहले उसके पति नन्हेंलाल ने लिखायी थी, वह पढ़ी लिखी नहीं है, इस घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसका किसी दरोगाजी ने कोई बयान नहीं लिया। उक्त साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिरह में धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से भी इनकार किया है एवं घटना से इनकार करते हुए कहा कि इस घटना में उसे कोई चोट नहीं आयी थी परन्तु मेड़ पर पैर फिसलकर गिरने के कारण उसके हाथ में चोट आयी थी एवं
12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्लू0 1 नन्हे लाल चुटैल/वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परन्तु जिरह में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी पी0डब्लू0 2 नत्थो देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में का समर्थन नहीं किया है एवं पक्षद्रोही साक्षी हैं। इसलिए यह विश्वसनीय साक्षी नहीं है। न्यायालय के मत में किसी भी

अन्य साक्षीगण को अभियोजन पक्ष की ओर से इसलिए परीक्षित नहीं कराया गया है कि यदि वह उन्हें परीक्षित कराते तो साक्षीगण अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते। इसलिए मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार किये जाने के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि तथ्य के साक्षी के द्वारा अभियोजन की कथित घटना को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित न की जाए।

13. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **2017(1) सुप्रीम 129 भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत में सुसंगत है "It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt- The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt-"

14. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचना विश्लेषण के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जिससे साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के हकदार है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

15. अभियुक्तगण बग्गा सिंह, चरन सिंह व रणजीत सिंह को फौजदारी वाद सं0–710 सन 2012, मु0अ0सं0–391/2012, थाना–नवाबगंज, जिला बरेली के मामले में धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0, के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

16. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस हजार के एक जमानती व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये, जो अपील की अवधि तक यथास्वरूप प्रभावी रहेंगे तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण के अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में उनके जमानतनामे एवं निजी बंधपत्र नियमानुसार जब्त किये जाने योग्य होंगे।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–21.05.2026

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–21.05.2026